न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी सवाई माधोपुर

पील संख्या 26/18

1. मानसिह
2. फतेह सिह
3. सागर सिह पुत्रान आनन्दा
4. पूनी पत्नि आनन्दा
5. उषा पुत्री आनन्दा सभी जातियान गुर्जर निवासीयान ग्राम मांचडी तहसील नादौती जिला करौली

अपीलांटान

'बनाम

1. काडूराम
2. शिवलाल
3. छुटटन लाल
4. हरकेश पुत्रान रामकिशन
5. रामप्यारी बेबा रामकिशन (हजफ)
6. नाथी पुत्री रामकिशन
7. बीला पुत्री रामकिशन
8. खिलारी पुत्र बीरवल सभी जातियान गुंर्जर निवासीयान ग्राम मांचडी तहसील नादौती जिला करौली
9. लैण्ड होल्डर जरिये तहसीलदार तहसील नादौती जिला करौली

.... रेस्पोडेन्टान

(अपील विरूद्व निर्णय न्यायालय उप जिला कलेक्टर नादौती
मु0न0 28/16 निर्णय दिनांक 21.4.17)

उपस्थित अभिभाषक
1. अपीलांटान की और से श्री रिषिराम मीना
2. रेस्पोडेटान 1 से 5 की और से श्री श्याममोहन शर्मा
3. रेस्पो0 8 की और से श्री चन्द्र प्रकाश शर्मा

निर्णय :

दिनांक 20.1.2020

अपील विरूद्व निर्णय न्यायालय उप जिला कलेक्टर नादौती के मु0नं0 28/16 निर्णय दिनांक 21.4.17 के विरूद्व पेश की गई है । अपील के तथ्य सक्षेप में इस प्रकार से है कि अधिनस्थ न्यायालय में रेस्पो0/सायलान ने एक प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा इस आशय का पेश किया कि आराजी ख0न0 3414 रकबा 0.14 है0 3415 रकबा 0.14 है0 , 3416 रकबा 0.34 है0,3428 रकबा 0.19 है0, 3429 रकबा 0.25 है0, 3430 रकबा 0.32 है0, 3439 रकवा 0.19 है0, 3440 रकबा 0.18 है0 कुल रकबा 1.75 है0 बीरवल ,रामकिशन, आनन्दा पुत्र नारायण के नाम दर्ज है। खातेदारान बीरवल ,रामकिशन व आनन्दा का स्वर्गवास हो जाने के कारण आनन्दा के विरासत का नामा0 अपीलांट/गैरसायलान के नाम भरा गया है। जिसका नामा0 संख्या 19 दिनांक 21.1.13 है व जरिये नामा0 संख्या 36 दिनांक 9.6.15 विरासत से बीरवल व रामकिशन के वारिसान का नाम अंकित है। जमाबंदी सम्वत 2069–72 गाम नयावासी के खाता संख्या 45 मे दर्ज भूमि ख0न0 3698 रकबा 0.37 है0 , 3699 रकबा 0.35 है0 बीरवल ,रामकिशन,आनन्दा पिसरान नारायण साकिन देह खातेदार

अपील अधिकारी
सवाई माधोपुर

Scanned by CamScanner

के नाम दर्ज है। नामा0 संख्या 45 दिनांक 21.3.13 विरासत से आनन्दा के बजाय मानसिह,फतेहसिह, सागर सिह पिसरान आनन्दा , पुनी बेवा आनन्दा,उषा पुत्री आनन्दा का नाम दर्ज है। व नामा0 संख्या 82 दिनांक 8.7.15 विरासत व हक त्याग से बीरवल ,रामकिशन फोत के बजाय काडूराम ,शिवलाल,छुटटनलाल, हरकेश पिसरान रामकिशन ,नाथी,बीला पुत्रीयां रामकिशन, रामप्यारी पत्नि रामकिशन ,खिलाडी ,कानसिह,रामप्रताप पिसरान बीरवल हिस्सा 2/9 दर्ज है। स्व0बीरवल ,रामकिशन व आनन्दा सगे भाई है। व नारायण की सन्तान है। आनन्दा पुत्र नारायण सामाजिक रीति रिवाज के अनुसार ग्यारससा निवासी मांचडी जो कि रिश्ते मे मामा लगता है के यहॉ सम्वत 2021 से गोद चला गया तभी से अपने मामा के पास रहता है व इस कारण उसका विवादित आराजीयात वर्णित मद न0 2 से कोई वास्ता नही है। आनन्दा अपने मामा के यहॉ सम्वत 2021 मे गोद चला गया तभी से अपने मामा के पास रहता रहा है इस कारण प्रार्थना पत्र के मद न0 2 व 3 मे वर्णित आराजीयात से उसका कोई वास्ता नही है। अपने मामा के यहॉ गोद जाने के पश्चात विवादित आराजीयात पर उसका कभी कब्जा काश्त नही रहा है। वीरवल व रामकिशन पुत्र नारायण ही अपने जीवनकाल मे विवादित आराजीयात पर काबिज रहकर काश्त करते रहे है तथा उनके स्वर्गवास के पश्चात सायलान व प्रतिवादी संख्या 6 व 7 जो कि बीरवल की सन्तान है काबिज रहकर काश्त करते चले आ रहे है। बीरवल व रामकिशन अनपढ व्यक्ति थे राजस्व रिकार्ड के सबंध मे समझते नही थे आनन्दा सगा भाई होने के कारण उस पर विश्वास करते थे। जमीन जायदाद के कागजात भी आनन्दा ही देखता था। उसने बदयान्ती से पटवारी व राजस्व कर्मचारियो से साज करके अपने प्राकृतिक पिता नारायण की खातेदारी मे दर्ज भूमि मे अपने भाईयो के साथ 1/3 हिस्सा दर्ज करवा लिया। जो गैर कूननी है। गोद चले जाने के पश्चात प्राकृतिक पिता की सम्पति मे किसी प्रकार का कोई हक नही रहता है। उस गलत इन्द्राज की आड मे आनन्दा विवादित आराजीयात पर जबरदस्ती कब्जा करने व रहन बय करने पर आमादा है। यही वाद कारण उत्पन्न होने पर सायलान/रेस्पो0 द्वारा अधिनस्थ न्यायालय मे प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा पेश कर इस्तदुआ चाही गई कि गैर सायलान को अस्थाई निषेधाज्ञा से ताफैसला दावा इस अमर का पाबन्द फरमाया जावे कि प्रार्थना पत्र के मद न0 1 व 2 मे वर्णित भूमि स्थित ग्राम नयावासी तहसील नादौती मे सायलान के कब्जे काश्त मे बाधा उत्नन्न नही कर और ना ही दीगर व्यक्ति से करावे। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा सायलान/रेस्पो0 का प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने से व्यथित होकर अपीलांट/गैरसायलान द्वारा यह अपील इस न्यायालय मे पेश की गई है।

अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोडेटान को नोटिस जारी कर तलब किया गया। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर बहस उभयपक्ष अभिभाषको की सुनी गई।

Scanned by CamScanner

अपीलांट के विद्वान अधिवक्ता ने बहस अपील मे बताया कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय विधि एवं तथ्यो के विपरीत होने से निरस्त योग्य है। विवादित भूमि ख0न0 3414 रकबा 0.14 है0 3415 रकबा 0.14 है0 , 3416 रकबा 0.34 है0,3428 रकबा 0.19 है0, 3429 रकबा 0.25 है0, 3430 रकबा 0.32 है0, 3439 रकवा 0.19 है0, 3440 रकबा 0.18 है0 कुल रकबा 1.75 है0 वाके ग्राम आमलीपुरा ख0न0 3698 रकबा 0.37 है0 व ख0न0 3699 रकबा 0.25 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 0.62 है वाके ग्राम नयावासी तहसील नादौती अपीलांटान के पिता व पति आनन्दा एवं रेस्पो0 न0 8 खिलाडी के पिता बीरवल तथा रेस्पो0 1 ता 7 के पिता व पति रामकिशन के रिकार्डेड सहखातेदारी एवं कब्जे काश्त की भूमि रही है। उक्त तीनो का देहान्त हो चुका है। उनके देहान्त के पश्चात अपीलांटान व रेस्पो0 संख्या 1 ता 8 बहैसियत वारिस रिकार्डेड सहखातेदार काश्तकार दर्ज हो गये। चूकिः उक्त तीनो ही 1/3, 1/3 भाग के सहखातेदार काश्तकार थे तथा उनकी मृत्यु के उपरान्त भी उसी के अनुरूप 1/3, 1/3 भाग व रेस्पो0 संख्या 1 ता 7 के पक्ष मे 1/3 भाग की सह खातेदारी दर्ज हुई जो कि वर्तमान मे लगातार चली आ रही है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं राजस्व रिकार्ड अनुसार सहखातेदार होना बखूबी साबित है। कानूनन रिकार्डेड खातेदार /सहखातेदार काश्तकार को अपनी भूमि अथवा भूमि के भाग को मुन्तकिल करने एवं उसमे काश्त कार्य कर लाभ प्राप्त करने का पूर्ण कानूनी हक व अधिकार प्राप्त है। जिसको किसी भी प्रकार से वाधित नही किया जा सकता है। इसके लिए किसी सह खातेदार की सहमति की आवश्यकता नही है। चूकि अपीलांटान विवादित भूमि के अपने पिता के समय से ही 1/3 भाग के रिकार्डेड सहखातेदार रहे है। इसलिए उन्हे अपने भाग को रहन बेचान अथवा अन्य किसी भी प्रकार से मुन्तकिल करने व शांतिपूर्वक काबिज रहकर काश्त करने का पूर्ण कानूनी हक व अधिकार प्राप्त है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट के विरूद्व रिकार्ड व मौके की यथास्थिति बनाये रखने का आदेश पारित कर कानूनी भूल की है। जिससे अपीलांट के विधिक हक व अधिकारो पर गलत व नाजायज रूप से कुठाराघात हुआ है। जिसके कारण अपीलांट विवादित भूमि के भाग पर के सी सी लेने एवं आवश्यकता पडने पर अन्य किसी से मुन्तकिल करने के विधिक अधिकारो से बंचित हो गये है। इस प्रकार अपूर्णनीय क्षति अपीलांट को हुई है। प्राईमाफेसी केस एवं सुविधा का संतुलन भी अपीलांट के पक्ष मे होने के फलस्वरूप भी अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट के विरूद्व निर्णय पारित किया है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपींलाटान के पिता आनन्दा को ग्यारसा निवासी मांचडी का गोद पुत्र होना मानकर तथा उसकी भूमि का अधिकारी होना मानकर एवं पिता नारायण की भूमि का अधिकारी होना ना मानकर अहम कानूनी भूल की है। आनन्दा ग्यारसा के गोद नही गया था लेकिन चूकि ग्यारसा आनन्दा का खास मामा था वह आनन्दा से विशेष स्नेह रखता था जिसके कोई पुत्र नही होने से वह आनन्दा को ही अपने पुत्र के रूप मे मानता था। तथा समाज व जाति मे पुत्रवत व्यवहार करता था। इसलिए उसने अपने जीवनकाल मे ही अपनी समस्त

Scanned by CamScanner

भूमि को आनन्दा के नाम कर दी थी। जिस कारण भूमि आनन्दा के नाम हो गई थी। जो आनन्दा की मृत्यु पश्चात अपीलांटान के नाम हो चुकी है। लेकिन इससे आनन्दा का अपने पिता नारायण की आराजीयात मे 1/3: भाग विरासत के रूप मे प्राप्त होने का हक व अधिकार ना बाधित हुआ है ना ही समाप्त हुआ है। आनन्दा के भाई बीरवल व रामकिशन के द्वारा आनन्दा के नाम सहखातेदारी दर्ज होने का अपने जीवनकाल मे कभी ऐतराज नही किया और ना ही पूर्व में रेस्पो0 द्वारा इस बाबत कोई आपत्ति की गई। यदि आनन्दा ग्यारसा के गोद गया होता तो उसके नारायण की विरासत का नामा0 ना तो खुलता और ना ही सह खातेदार के रूप मे दर्ज होता। बीरवल व रामकिशन द्वारा अपने जीवनकाल मे कोई आपत्ति नही करना इस बात को स्पष्ट करता है कि आनन्दा के पक्ष मे नारायण की विरासत का नामा बिलकुल सही खोला गया है। इसमे बीरवल व रामकिशन को कोई आपत्ति नही थी। यदि उनको कोई आपत्ति होती तो नामा0खुलने के समय ही आपत्ति प्रकट करनी चाहिए थी। उक्त नामा0 के विरूद्व रेस्पो0 द्वारा कोई अपील प्रस्तुत नही की गई है। इस बिन्दु को भी अधिनस्थ न्यायालय द्वारा गौर नही किया गया है। आनन्दा के अपनें मामा ग्यारसा के गोद जाने का कोई रजिस्टर्ड अथवा अनरजिस्टर्ड गोदनामा भी रेस्पो0 द्वारा अधिनस्थ न्यायालय मे पेश नही किया गया है। ना ही सिविल कोर्ट से गोद पुत्र बाबत डिकलेरेशन करवाया है। जब तक सक्षम न्यायालय द्वारा आनन्दा को गोद पुत्र होना नही माना जाता जब तक आनन्दा को ग्यारसा का गोद पुत्र नही माना जा सकता है। इस प्रकार अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय विधि एवं कानून के विपरीत होने के कारण निरस्त योग्य है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार फरमाई जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय अपास्त फरमाया जावे।

रेस्पो0 के विद्वान अधिवक्ता ने बहस अपील में कथन है कि आराजी ख0न0 3414 रकबा 0.14 है0 3415 रकबा 0.14 है0 , 3416 रकबा 0.34 है0,3428 रकबा 0.19 है0, 3429 रकबा 0.25 है0, 3430 रकबा 0.32 है0, 3439 रकवा 0.19 है0, 3440 रकबा 0.18 है0 कुल रकबा 1.75 है0 बीरवल ,रामकिशन, आनन्दा पुत्र नारायण के नाम दर्ज है। खातेदारान बीरवल ,रामकिशन व आनन्दा का स्वर्गवास हो जाने के कारण आनन्दा के विरासत का नामा0 अपीलांट के नाम भरा गया है। जिसका नामा0 संख्या 19 दिनांक 21.1.13 है व जरिये नामा0 संख्या 36 दिनांक 9.6.15 विरासत से बीरवल व रामकिशन के वारिसान का नाम अंकित है। जमाबंदी सम्वत 2069–72 गाम नयावासी के खाता संख्या 45 मे दर्ज भूमि ख0न0 3698 रकबा 0.37 है0 , 3699 रकबा 0.35 है0 बीरवल ,रामकिशन,आनन्दा पिसरान नारायण साकिन देह खातेदार के नाम दर्ज है। नामा0 संख्या 45 दिनांक 21.3.13 विरासत से आनन्दा के बजाय मानसिह,फतेहसिह, सागर सिह पिसरान आनन्दा , पुनी बेवा आनन्दा,उषा पुत्री आनन्दा का नाम दर्ज है। व नामा0 संख्या 82 दिनांक 8.7.15 विरासत व हक त्याग से बीरवल ,रामकिशन फोत के बजाय काडूराम ,शिवलाल,छुटटनलाल, हरकेश पिसरान रामकिशन ,नाथी,बीला पुत्रीयां रामकिशन, रामप्यारी पत्नि रामकिशन ,खिलाडी

ल अधिकारी
माधोपुर

Scanned by CamScanner

,कानसिह,रामप्रताप पिसरान बीरवल हिस्सा 2/9 दर्ज है। स्व0बीरवल ,रामकिशन व आनन्दा सगे भाई है। व नारायण की सन्तान है। आनन्दा पुत्र नारायण सामाजिक रीति रिवाज के अनुसार ग्यारससा निवासी मांचडी जो कि रिश्ते मे मामा लगता है के यहॉ सम्वत 2021 से गोद चला गया तभी से अपने मामा के पास रहता है व इस कारण उसका विवादित आराजीयात वर्णित मद न0 2 से कोई वास्ता नही है। आनन्दा अपने मामा के यहॉ सम्वत 2021 मे गोद चला गया तभी से अपने मामा के पास रहता रहा है इस कारण प्रार्थना पत्र के मद न0 2 व 3 मे वर्णित आराजीयात से उसका कोई वास्ता नही है। अपने मामा के यहॉ गोद जाने के पश्चात विवादित आराजीयात पर उसका कभी कब्जा काश्त नही रहा है। वीरवल व रामकिशन पुत्र नारायण ही अपने जीवनकाल मे विवादित आराजीयात पर काबिज रहकर काश्त करते रहे है तथा उनके स्वर्गवास के पश्चात सायलान व प्रतिवादी संख्या 6 व 7 जो कि बीरवल की संन्तान है काबिज रहकर काश्त करते चले आ रहे है। बीरवल व रामकिशन अनपढ व्यक्ति थे राजस्व रिकार्ड के सबंध मे समझते नही थे आनन्दा सगा भाई होने के कारण उस पर विश्वास करते थे। जमीन जायदाद के कागजात भी आनन्दा ही देखता था। उसने बदयान्ती से पटवारी व राजस्व कर्मचारियो से साज करके अपने प्राकृतिक पिता नारायण की खातेदारी मे दर्ज भूमि मे अपने भाईयो के साथ 1/3 हिस्सा दर्ज करवा लिया। जो गैर कानूनी है। गोद चले जाने के पश्चात प्राकृतिक पिता की सम्पति मे किसी प्रकार का कोई हक नही रहता है। उस गलत इन्द्राज की आड मे आनन्दा विवादित आराजीयात पर जबरदस्ती कब्जा करने व रहन बय करने पर आमादा होने पर ही रेस्पो0 द्वारा अधिनस्थ न्यायालय मे प्रार्थना पत्र पेश किया गया था। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपने निर्णय मे माना है कि आनन्दा अपने पिता नारायण की सम्पति मे ही अधिकार प्राप्त कर सकता है या ग्यारसा जिसके यहॉ नारायण गोद गया उसकी सम्पति मे ही हक प्राप्त कर सकता है। यह वाद मे तय किया जावेगा। पक्षकारान के अधिकार दावे मे सुरक्षित होने के कारण ही अधिनस्थ न्यायालय द्वारा वाद वाहुलता नही बढे इसलिए विवादित आंराजीयात की मौके एवं रिकार्ड की यथास्थिति कायम करते हुए गेरसायलान/अपीलांट को पाबन्द किया गया है। जो एक विधिक प्रकिया है। इस प्रकार अपीलांट की अपील खारिज फरमाई जावे।

उभय पक्षो की बहस एवं अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से यह तथ्य सामने आये कि प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा के मद न0 2 व 3 वर्णित आराजीयात को लेकर उभयपक्ष के बीच विवाद है। आनन्दा अपने पिता नारायण की सम्पति मे ही अधिकार प्राप्त कर सकता है या ग्यारसा की सम्पति मे हक प्राप्त कर सकता है। यह वाद मे तय किया जावेगा। पक्षकारान के अधिकार दावे मे सुरक्षित होने के कारण ही अधिनस्थ न्यायालय द्वारा वाद वाहुलता नही बढे इसलिए विवादित आराजीयात की मौके एवं रिकार्ड की यथास्थिति कायम करते हुए गैरसायलान/अपीलांट को पाबन्द किया गया है। जो

Scanned by CamScanner

विधि के अनुरूप होने से उसमे किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता प्रतीत नही होने से अपीलांट की अपील खारिज किया जाना उचित है।

अतः अपील अपीलांट खारिज योग्य होने से खारिज की जाती है। अधिनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नादौती के मु0न0 28/16 निर्णय दिनांक 21.4.17 को यथावत रखा जाता है।

निर्णय आज दिनांक 20.1.2020 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

20.1.20

(बी0एल0शर्मा)
राजस्व अपील अधिकारी
सवाई माधोपुर

राजस्व अपील अधिकारी
सवाई माधोपुर

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Banwari Lal Raman
Date: 2020.03.03 17:03:08 IST
Reason: SelfAttested
Location: